(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 153 **नई दिल्ली,** **22 अगस्त 2009**

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, मुंबई पत्तन न्यास के दरमानो की वैधता को 31 अक्टूबर 2009 तक विस्तारित करता है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/57/2005 - एमबीपीटी

मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) **आवेदक**

आदेश

(जुलाई, 2009 के 28 वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 28 सितंबर 2006 के द्वारा 31 मार्च 2009 तक की वैधता अवधि वाले मुंबई पत्तन न्यास के दरमान को दिनांक 1 दिसंबर 2006 की अधिसूचना संख्या 178 के द्वारा अधिसूचित किया था। ।

2. मुंबई पत्तन न्यास ने दिनांक 30 जनवरी 2009 के अपने पत्र द्वारा अपने प्रशुल्क के सामान्य संशोधन के लिए प्रस्ताव दाखिल किया है। मुंबई पत्तन न्यास के प्रस्ताव को प्रासंगिक उपयोग कर्ताओं / उपयोगकर्ताओं के संगठनों से परामर्श के लिए रखा गया था। प्रचलित दरमानो की वैधता को प्राधिकरण के आदेश दिनांक 27 मार्च 2009 के माध्यम से 31 जुलाई 2009 तक विस्तारित किया गया था।

3. मुंबई पत्तन न्यास के प्रस्ताव पर परामर्श की प्रक्रिया जारी है और प्राधिकरण द्वारा अंतिम विचार विमर्श के लिए मामले को परिपक्व होने मे कुछ और समय लगेगा। इसलिए प्रचलित दरमान की वैधता को 31 जुलाई 2009 से आगे विस्तारित करना आवश्यक हो गया है।

4. इसलिए, यह प्राधिकरण मुंबई पत्तन न्यास के प्रचलित दरमान की वैधता को 31 अक्टूबर 2009 तक या मुंबई पत्तन न्यास के प्रशुल्क की सामान्य समीक्षा के प्रस्ताव पर पारित होने वाली आदेश के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि तक, इन में से जो भी पहले हों विस्तार प्रदान करता है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष